न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या 17/15

1. श्री कैलाशचन्द शर्मा सुपुत्र श्री राधेश्याम शर्मा
2. श्री अभिषेक शर्मा सुपुत्र श्री राधेश्याम शर्मा

दोनो जाति ब्राहम्ण निवासी 28–39, गणेश मन्दिर, मोती डूंगरी जयपुर जिला जयपुर राज0।

—— वादीगण

बनाम

1. श्री अजय मेहता सुपुत्र देवीलाल मेहता जाति जैन निवासी डी–425 आजाद नगर, भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0।
2. श्रीमती बदामी पुत्री डुंगाजी जाति रावत निवासी गांव जीवाणा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।
3. श्रीमती लहरी पुत्री डुंगाजी जाति रावत निवासी गांव जीवाणा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार बिजयनगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक नायब तहसीलदार बिजयनगर।
6. घीसी बेवा रामा जाति रावत
7. मोती सिंह वल्द जय सिंह जाति रावत

दोनो निवासीगण ग्राम जीवाणा तहसील बिजयनगर —— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम व पटवार हल्का जीवाणा तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 573 खसरा नं0 2153 रकबा 06–16–10 बीघा व खाता संख्या 875 खसरा नं0 2153/2790 रकबा 01–05–00 बीघा आराजी में वादीगण का 2501/3230 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0 1 से 3 का 729/3230 हिस्सा है। जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। जिसके कारण कम ज्यादा कब्जे को लेकर पक्षकार में विवाद होने रहते है और प्रतिवादी सं0 1 से 3 वादीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमदा है। विभाजन हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर उन्होनें मना कर दिया है इसलिये वाद लाने की आवश्यकता हुई। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर पक्षकारान के हिस्से का बाईमिट्स एण्ड बॉण्ड बंटवारा करने की कृपा करावें।

प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने प्रतिवाद पत्र में निवेदन किया है कि विवादित आराजी वादीगण एवं जवाब देहिन्दा सहित अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें सभी हिस्सेदारान का हिस्सा निहित है। जिसका विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना किन्ही दो खातेदारान के पक्ष में अथवा उनके विरूद्ध डिक्री पारित नहीं की जा सकती। यदि पारित की जाती है तो ऐसी डिक्री से अन्य सहखातेदारान के हित प्रभावित हो सकते है। अतः बिना सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बंटवारा नहीं किया जा सकता। वादीगण के हिस्से की भूमि में जवाब देहिन्दागण ने कोई कब्जा नहीं किया है। यदि किया होता तो अन्य सहखातेदारान को भी ऐतराज होता। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को पक्षकार बनाने से पूर्व कोई विधिक नोटिस वादीगण ने नहीं दिया है। जिसके लिए वे बंधनकारी है। वाद बिना सहखातेदारान को पक्षकार बनाये झूठे कथनों पर लगाया गया है। अतः वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण के प्रतिवादी सं0 6 व 7 की तलबी में विचाराधीन चलते उपस्थित आ रहे पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक गण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक आम सहमति से किया गया बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर वादीगण, प्रतिवादीगण सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2, 3 की और से तीनों की अभिभाषकों ने पक्षकारान के मध्य प्रस्तावित बंटवारे अनुसार समझौता हो जाने की पुष्टि के हस्ताक्षर किये है। उभयपक्षान के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने प्रस्तुत प्रकरण में एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी का पेश कर श्रीमती घीसी बेवा रामा एवं मोती सिंह वल्द जय सिंह दोनों जाति रावत निवासी ग्राम जीवाणा को पक्षकार बनाने का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र पर इन दोनों को क्रमशः प्रतिवादी सं0 6 व 7 कायम किया गया। मोती सिंह की भूमि वादीगण ने खरीद कर ली है और उनका नाम नामान्तकरण संख्या 1844 दिनांक 20.02.2016 राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है और घीसी का हिस्सा बदस्तूर बरकरार है। मु0 घीसी उपस्थित नहीं हुई है।

ऐसी स्थिति में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है और प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना ही न्यायोचित पाया जाता है।

अतः प्रकरण में इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है कि तहसीलदार बिजयनगर मौजा जीवाणा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नं0 2153 रकबा 06–16–10 बीघा एवं 2153/2790 रकबा 01–05–00 बीघा में पक्षकारान के हिस्से अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमाकंन बंटवारा तैयार कर बंटवारा प्रस्ताव आगामी तारीख 12-3-16 तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करावे।

निर्णय आज दिनांक 26-2-16 को लोक अदालत मे इजलास मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 16:35:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: